न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/177/2025 दायर दिनांकः–22.12.2025 रजि0 न0 2025/417

अपीलार्थीः–	प्रत्यर्थीः–
श्री नाहर सिंह पुत्र देवदत्त, निवासी ग्राम पहाडवास, तहसील हरसौली, जिला खैरथल तिजारा (राज०)–301702	लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय, जिला अलवर (राजस्थान)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––:: निर्णय ::––

दिनांकः– 19.01.2026

1. उभय पक्ष अनुपस्थित ।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया ।
3. अपीलार्थी ने इस कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–6 (1) के तहत सूचना आवेदन सं. 293787172356656 दिनांक 27.10.2025 के परिपेक्ष्य में किसी प्रकार की सूचना नही मिलने बाबत अभिकथन किया गया है ।
4. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 05.01.2026 को उपस्थित आवें।
5. अपीलार्थी उपस्थित नही आया एवं प्रत्यर्थी ने जवाब अपील क्रमांक लो०स०अ०/प्रथम अपील/2025/10 दिनांक 07.01.2026 से अवगत कराया है कि प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा RTI Online Portal पर दिनांक 27.10.2025 को आवेदन सं. 293787172356656 के माध्यम से अति० जिला कलक्टर (शहर) अलवर को अन्तरित किया जा चुका है जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की गई है, जो कि स्वयं एक पृथम लोक सूचना अधिकारी कार्यालय है, तद्नुसार सीधे ही उक्त कार्यालय को आवेदन प्रस्तुत कर जानकारी प्राप्त करने बाबत ऑनलाईन पोर्टल पत्र सं. 7252033711 दिनांक 27.10.2025 के माध्यम से आवदेन खारिज कर, विनिश्चय किया जाकर सूचित किया जा चुका है, प्रति संलग्न है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है।
6. अतः प्रत्यर्थी द्वारा उनके पत्र सं. लो०स०अ०/प्रथम अपील/2025/10 दिनांक 07.01.2026 एवं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रत्यर्थी के पत्रांक 7252033711 दिनांक 27.10.2025 के माध्यम से अपीलार्थी को विनिश्चय किया जाकर संसूचित किया जा चुका है जो उचित एवं पर्याप्त है। उक्त आलोक में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावे।
7. आज दिनांक 19.01.2026 को निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया ।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज०)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर